जागरूकता विकास श्रृंखलाः 17

नई राह

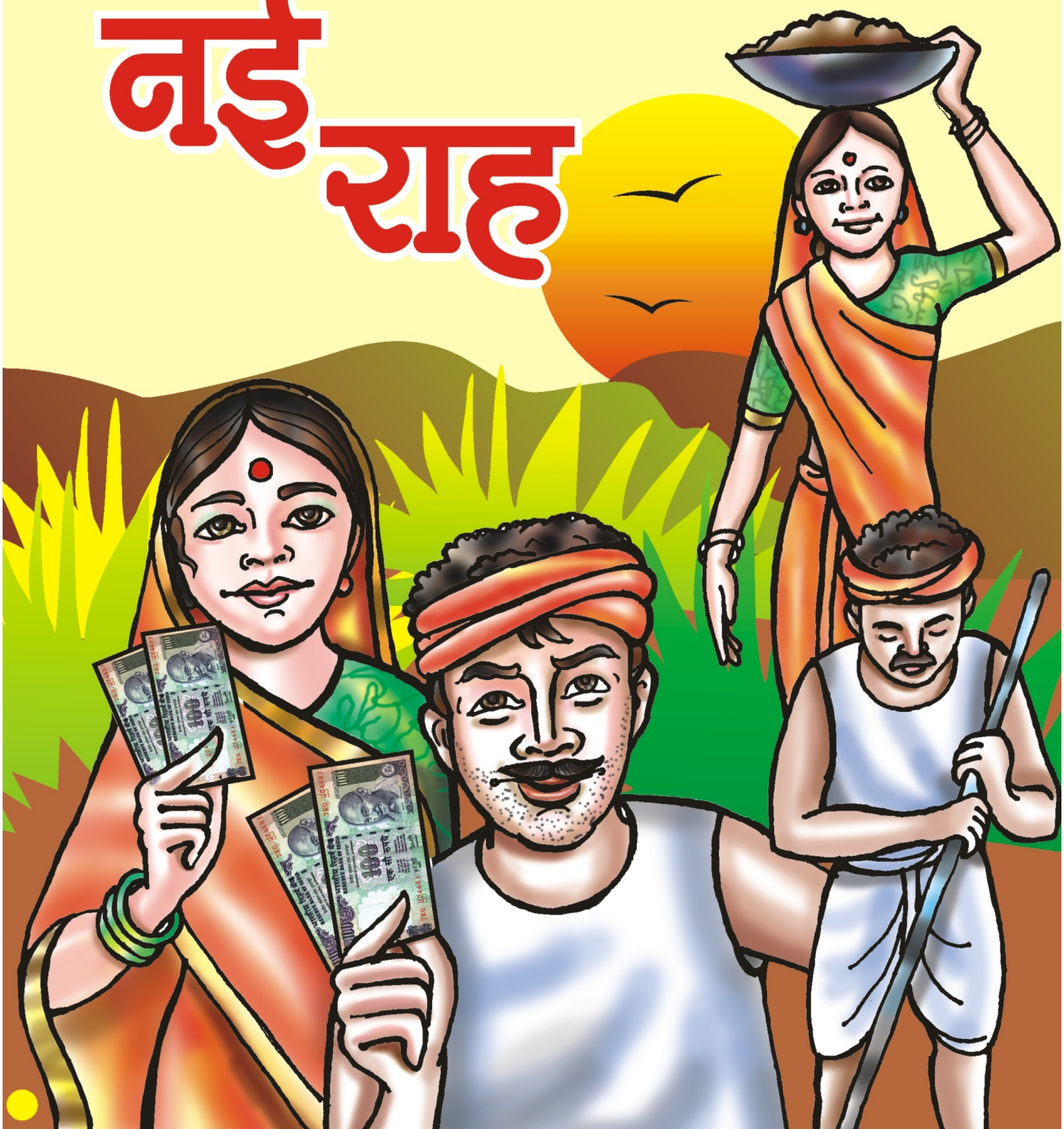

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

जागरूकता विकास श्रृंखलाः 17

नई राह

कोड नं. : 004 (III)

लेखक : कुन्दा सुपेकर

चित्रांकन : सुमन्त गोले

संस्करण : प्रथम, फरवरी, 2009

प्रतियाँ : 500

मूल्य : रुपये 15.00

© प्रकाशकाधीन

प्रकाशक : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा
भारतीय ग्रामीण महिला संघ,
महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इंदौर-452010, म.प्र.
फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573
e-mail: srcmpindore@gmail.com
literacy@sify.com
Web: www.srcindore.org

मुद्रक : कलर ग्राफिक्स

आमुख

बेरोजगारी गाँव, शहर सभी जगह की मुख्य समस्या है। शहरों में बेरोजगारी के कारण जहाँ अपराध बढ़ते हैं वहीं गाँवों में पलायन की समस्या उभरकर आती है।

ग्रामीण लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार ने पहल की है। सरकार ने पूरे देश में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' आरंभ की है। इसके तहत हर गरीब ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

प्रस्तुत पुस्तिका **'नई राह'** में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित तीन कहानियाँ दी गई हैं। साथ ही योजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुस्तिका हेतु चित्रांकन **श्री सुमन्त गोले** द्वारा किया गया है।

केन्द्र इनके प्रति आभार व्यक्त करता है। पुस्तिका के संबंध में आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र,
प्रौढ़ शिक्षा, इंदौर, म.प्र.

भविष्य की राह

जमना अपने मकान के बाहर टूटी सी खटिया पर बैठी थी। उसे चौथा महीना चल रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर उसका पति लखन बीड़ी पी रहा था। उनके बच्चे भी थोड़ी-थोड़ी देर में माँ के आसपास चक्कर काटते। बच्चे बड़ी आशा भरी नजरों से जमना को देख रहे थे। जमना अपनी गरदन नीची कर लेती।

वह भी क्या करे? आज घर में चूल्हा जला ही नहीं था। थोड़ा आटा था जो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चों को केवल

एक-एक रोटी ही मिली थी। जिसे उन्होंने नमक के साथ खाया था। वह, उसका पति, बूढ़ी सास तो सिर्फ पानी पीकर ही सोये थे। बच्चों के सूखे मुँह देखकर जमना की आँखों में आँसू आ गए।

जमना और लखन का परिवार पिपलिया गाँव में रहता था। शादी के समय लखन के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। शादी के लिए उसे साहूकार से कर्जा भी लेना पड़ा था। जैसे-तैसे लखन पैसे चुका रहा था।

समय गुजरता गया। माँ-बाप पोते की आस लगाए बैठे थे। बेटे की आस में लखन के यहाँ तीन बेटियाँ हो गईं। जमीन थोड़ी-सी थी और सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं थी। एक फसल से 6-7 लोगों का पेट भरना और कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में लखन के पिता बीमार पड़ गए। उनका इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे।

लखन ने फिर साहूकार का दरवाजा खटखटाया। पैसों के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी। पैसों की व्यवस्था करके पिताजी को शहर के अस्पताल ले गया। लेकिन उतने पैसे इलाज के लिए काफी नहीं थे। उसके पिताजी बहुत कमजोर हो गए थे। उन्हें खून चढ़ाना था। लखन ने खुद अपना खून दिया पर वह काफी नहीं

था। और खून चाहिए था पर उसके पास पैसे नहीं थे। आखिर बूढ़े पिताजी ने दम तोड़ दिया।

पिताजी का क्रियाकर्म आदि करने के लिए फिर पैसे चाहिए थे। साहूकार ने गिरवी जमीन के बदले कुछ रुपए और दे दिए। लखन की जमीन अपने नाम कर ली।

अब लखन का पूरा परिवार भगवान भरोसे था। पत्नी छोटे बच्चों की देखभाल में ही लगी रहती थी। लखन जब-जब कहीं मजदूरी मिलती करता था। बड़ी मुश्किल से घर परिवार चल रहा था। इस साल पानी भी नहीं बरसा था। मजदूरी भी कभी-कभार ही मिलती थी।

गाँव में नई आंगनवाड़ी खुली थी। एक दिन आंगनवाड़ी वाली बहनजी जमना के घर के सामने से गुजरी। उसने जमना को देखा। वह जमना के पास आकर बैठी। उसे देखकर जमना की आँखों में आँसू आ गए। बहनजी सब समझ गई। उसने जमना को कहा- 'बच्चों को आंगनवाड़ी क्यों नहीं भेजती।'

जमना बोली- 'घर में खाने को पैसा नहीं है। कैसे भेजूँ बच्चों को स्कूल?'

बहनजी ने कहा– 'पैसे किसे देना है। वहाँ सब बिना फीस के ही होगा। दोनों छोटी बच्चियों को कल आकर भर्ती कर देना। उन्हें खाना, दवाई सब मिलेगा। बड़ी लड़की को भी मैं स्कूल में भर्ती करा दूंगी। तुम्हारी जाँच भी डाक्टरनी बाई के आने पर करवा दूँगी।'

लखन भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने बहनजी से पूछा– 'बहनजी मेरे लिए कामकाज के लिए कुछ हो सकता है।'

बहनजी थोड़ी देर सोचती रही। फिर उसने पूछा– 'क्या तुमने अपना नाम पंचायत में लिखवा लिया है?' लखन ने 'ना' करते हुए गर्दन हिला दी।

'बहनजी मेरे लायक कोई कामकाज हो तो बताइए ना?'

बहनजी ने बताया– 'तुम अपने परिवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दर्ज करा लो। तुम्हारे परिवार को साल में कम से कम 100 दिन तो काम जरूर मिलेगा।'

लखन बोला– 'बहनजी वहाँ तक हमारी पहुँच ही कहाँ है?'

बहनजी ने कहा– 'मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगी।'

बहनजी की कोशिश से लखन के परिवार का नाम रोजगार गारंटी योजना में दर्ज कर लिया गया। उनका जॉब कार्ड बन गया। बच्चों को आंगनवाड़ी में भर्ती कर लिया। लखन और जमना को आज भविष्य की राह मिल गई।

❑

नई राह

देवकी अस्पताल के बाहर खड़ी सोच रही थी। आज दो माह हो गए उसे अस्पताल के चक्कर लगाते। खेत में काम करते हुए उसके पति रामदीन का पैर जख्मी हो गया था। रामदीन ने पैर में पानी की पट्टी बाँध ली। बाद में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बढ़ते–बढ़ते जख्म बड़े घाव में बदल गया। रामदीन के पैर में असहनीय दर्द होता था।

देवकी जबरदस्ती रामदीन को कस्बे के अस्पताल ले गई। तब तक पैर की हालत बहुत खराब हो गई थी। खूब इलाज कराया। ढेरों पैसे खर्च हुए देवकी को इलाज के लिए अपना 3 बीघा खेत तक गिरवी रखना पड़ा। इलाज से रामदीन का पैर ठीक नहीं हुआ। अंत में रामदीन का पैर घुटने तक काटना पड़ा।

देवकी रोज अस्पताल आती। बड़ी बेटी घर का काम करती। भाई–बहन को सम्हालती। धीरे–धीरे घर की हालत बिगड़ती गई। देवकी ने सारे पैसे रामदीन के इलाज में लगा दिए।

आज रामदिन को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। रामदीन को पता ही नहीं था कि उसका इलाज कैसे हो रहा है।

पैसों की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर आने पर ये सब प्रश्न उसके सामने थे। एक दिन देवकी ने रामदीन को खेत गिरवी रखने की बात कही। रामदीन भौंचक्का रह गया। अब उसे घर की चिंता होने लगी। घर कैसे चलेगा? देवकी ने अपने खेत के अलावा कहीं काम नहीं किया था। अब वह क्या करेगी? कैसे दूसरों के यहाँ काम करेगी।

उसे चिंता खाए जा रही थी। अपनी कटी हुई टाँग को देख कर वह मजबूरी का एहसास कर रहा था। घर पर रोज उसे गाँव का कोई न कोई आदमी मिलने आता। उसकी मजबूरी पर चिंता जताता। पर राह कोई नहीं दिखा रहा था।

एक दिन लखन चाचा का बेटा रमेश मिलने आया। उसने रामदीन की चिंता को जाना। वह बोला– 'भैया अब भाभी को ही काम करना पड़ेगा। तुम भी घर बैठे छोटा–मोटा काम करो।'

रामदिन बोला– 'तुम्हारी भाभी ने तो अब तक किसी के यहाँ कभी काम नहीं किया। जो कुछ काम किया है वह अपने खेत में ही किया है। वह खेत भी अब हाथ से गया ही समझो।'

रमेश ने बताया– 'सरकार की एक योजना है जिसमें बेरोजगार

परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। यदि आप चाहो तो मैं इस योजना में काम दिलवाने में मदद कर सकता हूँ।' मरता क्या न करता। रामदिन ने 'हाँ' कर दी।

रमेश ने रामदीन के परिवार का नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंचायत में दर्ज करवाया। उनका जाब कार्ड बनवा दिया। देवकी को तालाब पर काम मिल गया। रमेश ने रामदीन को भी बीड़ी बनाने का काम दिलवाया। इस तरह देवकी के परिवार को नई राह मिली। ❑

समूह की ताकत

राजगढ़ में पंचायत ने ग्रामसभा में तालाब गहरा करने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गाँव के तालाब को गहरा करने का काम शुरू हुआ। योजना के अंतर्गत अनेक परिवारों ने अपना नाम दर्ज कराया था। अपने–अपने जॉब कार्ड बनवाए थे। उन परिवारों में से कुछ लोगों को तालाब पर काम मिला था। सुगना को भी वहीं काम मिला।

सुगना, रामेश्वर की विधवा थी। चार साल पहले रामेश्वर की मृत्यु पीलिया से हुई थी। रामेश्वर के पास थोड़ी–सी जमीन थी पर खेत में कुआँ नहीं था। एक फसल से पूरे साल का खर्च भी नहीं निकलता था। इसलिए रामेश्वर भी खेती के अलावा मजदूरी भी करता था। वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहता था। उसका बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ रहा था। बच्चे पढ़ने में होशियार थे। रामेश्वर उनसे मजदूरी नहीं करवाना चाहता था। लेकिन रामेश्वर की अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए सुगना ने खुद काम करने की ठानी। उसे रामेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। वह भी बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़ाना चाहती थी।

उसके पड़ौस की शांताबाई ने उसे बताया– 'ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंचायत में नाम दर्ज किए जा रहे हैं। तुम भी अपना नाम लिखना दो।'

सुगना ने बेटे के साथ जाकर अपने परिवार का नाम दर्ज करवाया। उन्हें जॉब कार्ड मिला। जब तालाब पर काम शुरू हुआ तो सुगना को भी काम मिला। सुगना दिखने में सुंदर थी। मेट की उस पर नजर थी। वह उसे बिना काम के रोकता। इधर उधर की बातें करता। हमेशा उसे देखता रहता। यह सब सुगना को बुरा लगता था।

एक दिन खाने की छुट्टी के समय सुगना पानी लेने जा रही थी। मेट ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुगना ने उसी वक्त उसे एक झापड़ मारा और शोर मचाया। सभी लोग इकट्ठा हुए। शांताबाई ने उसे खूब खरी–खोटी सुनाई। सबके बीच अपमान होने से मेट नाराज था। वह बदला लेने की सोचने लगा। अंत में उसने सुगना की मस्टर रजिस्टर में हाजरी कम कर दी।

मजदूरी भुगतान के समय आया तो जॉब कार्ड में कम उपस्थिति देख सुगना चकित रह गई। वह तो सबके साथ नियमित काम पर आती थी। उसने सभी साथियों को बताया। सब ने सोचा– सुगना से बदला लेने के लिए ही मेट ने यह सब किया है। उन सबने मिलकर रजिस्टर देखने के लिए मांगा। सुगना की उपस्थिति में काट–छाँट की गई थी।

सभी ने मेट को जब फटकारना शुरू किया तब उसने अपनी गलती कबूल की। उसकी शिकायत की गई और उसे काम से निकाला गया। सुगना को पूरी मजदूरी मिली। यह था– समूह की ताकत का फल। ❑

क्या कहता है रोजगार गारंटी कानून?

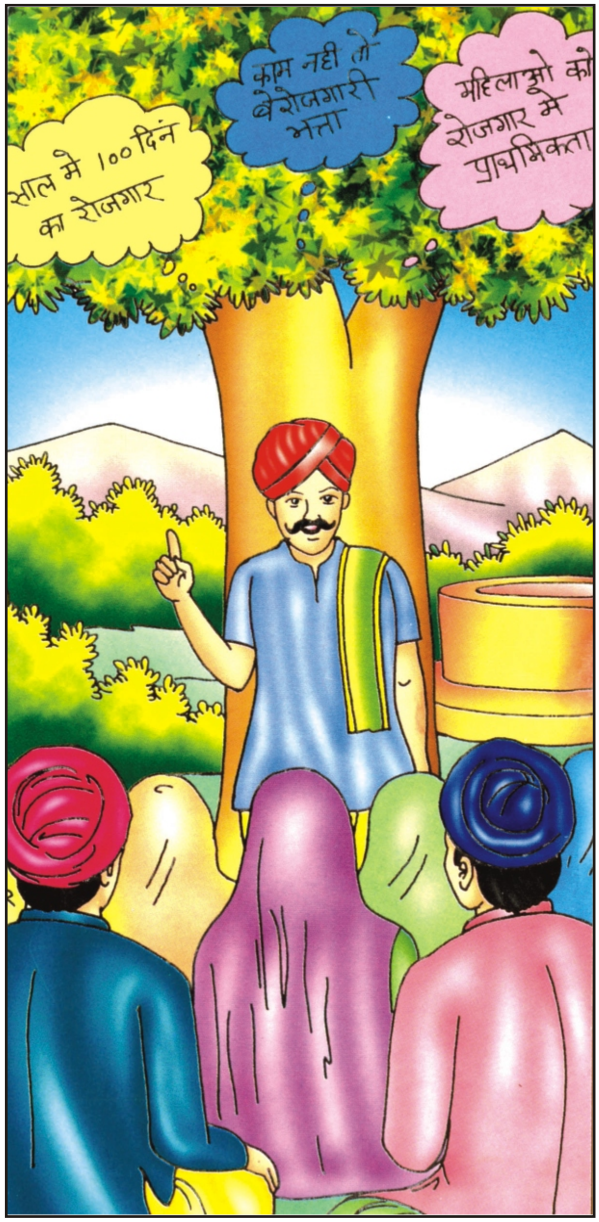

- प्रत्येक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को मिलाकर साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। शर्त यह है कि वह अकुशल (शारीरिक) मजदूरी करने को तैयार हो। काम के लिए खुद आवेदन करना जरूरी है।
- काम के आवेदन के बाद 15 दिन की अवधि में सरकार को काम देना होगा। काम न मिलने पर आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

- काम आवेदनकर्ता के गाँव से 5 किलोमीटर के अंदर ही दिया जाएगा। अधिक दूरी होने पर मजदूरी दर के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
- ठेकेदारी प्रथा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो काम श्रमिक कर सकते हों उनके लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ग्रामसभा समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करेगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामवासी, ग्रामसभा में जागरूक होकर भागीदारी जरूर करें। सामाजिक अंकेक्षण में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- ब्लॉक स्तर पर एक 'कार्यक्रम अधिकारी' होगा जो पंचायत व जिला समन्वयक के प्रति जवाबदेह होगा।
- महिलाओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी एक-तिहाई रोजगार महिलाओं को दिया जाना आवश्यक है।

योजना में किस प्रकार के काम होंगे?

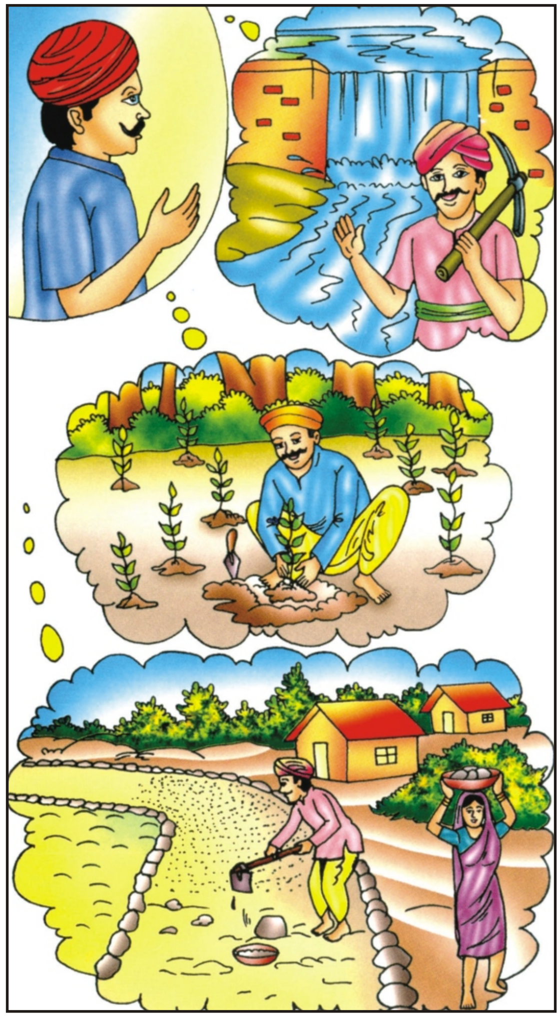

- जल संरक्षण व जल संग्रहण के कार्य। जैसे- नए तालाब, एनिकट आदि का निर्माण।
- भूमि विकास व भूमि सुधार के कार्य तथा अकाल से बचाव हेतु वृक्षारोपण।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के इंदिरा आवास योजना के परिवारों के लिए सिंचाई सुविधा व भूमि सुधार कार्य। जैसे- फार्म पौण्ड, भूमि समतलीकरण करवाना, धोरे पक्के करवाना, उद्यानिकी बगीचा लगाना आदि।

- सिंचाई के लिए नहर निर्माण तथा परम्परागत जल स्रोतों की मरम्मत।
- ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार जिसमें गाँवों में सड़क निर्माण कार्य शामिल है। (ग्रेवल रोड)
- बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्य।
- भूमि विकास।
- ऐसे कार्य जो राज्य सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

कैसे मिलेगा काम?

- सबसे पहले ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण करवाकर जॉब कार्ड लेना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य है- कार्य प्रणाली को योजनाबद्ध करना।
- जॉब कार्ड मजदूरों द्वारा किए गए कार्यदिवसों, प्राप्त मजदूरी, प्राप्त बेरोजगारी भत्ता का लिखित ब्यौरा है। यह मजदूरों के पास रहता है। एक जॉब कार्ड न्यूनतम 5 वर्षों के लिए वैध होता है।

◆ काम के लिए ग्राम पंचायत में या कार्यक्रम अधिकारी (पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर) को आवेदन देना पड़ता है तथा उनसे तारीख सहित रसीद भी लेनी होती है।

◆ काम के लिए कम से कम 14 दिन के लिए आवेदन करना होगा।

काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता

◆ यदि रोजगार के लिए आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो प्रार्थी बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की दर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं होगी तथा उसके बाद शेष

अवधि के लिए मजदूरी दर की 1/2 से कम नहीं होगी।

- बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार पर दबाव का काम करता है। रोजगार हेतु मजदूरी भुगतान का भार मोटे तौरे पर केन्द्र सरकार वहन करती है। बेरोजगारी भत्ता का भार राज्य सरकार पर रहता है। अतः रोजगार मुहैया करवाकर राज्य सरकार आर्थिक नुकसान से बच सकती है।

कितनी मजदूरी व कैसे भुगतान?

- प्रतिदिन 100/- रुपए की दर से मजदूरी (7 घंटे की कार्य अवधि) का भुगतान किया जाएगा। भुगतान पोस्ट ऑफिस या नजदीकी बैंक के खाते में ही होगा। इसके लिए सभी मजदूरों के खाते खुलवाए जाते हैं।
- मजदूरी का भुगतान काम के बाद 7 दिन के भीतर किया जाएगा।
- यदि मेहताने का भुगतान 15 दिन के भीतर नहीं होता है तो मजदूर को मुआवजा (हर्जाना) लेने का अधिकार होगा।

काम के स्थान पर क्या सुविधाएँ दी जाएगीं?

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- छाया की व्यवस्था।
- प्राथमिक उपचार की सुविधा।
- महिला मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए झूलाघर की व्यवस्था की जाएगी।

गंभीर दुर्घटना व मृत्यु होने पर क्या सुविधा?

- कार्य के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाने या मृत्यु हो जाने की दशा में 25,000/– रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।
- काम करते हुए कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसे योजना के अंतर्गत मान्य इलाज निःशुल्क पाने का अधिकार होगा।

- यदि अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो तो उसे आवास, उपचार के साथ-साथ दैनिक भत्ता (कम से कम दैनिक मजदूरी का आधा) प्राप्त करने का अधिकार होगा।

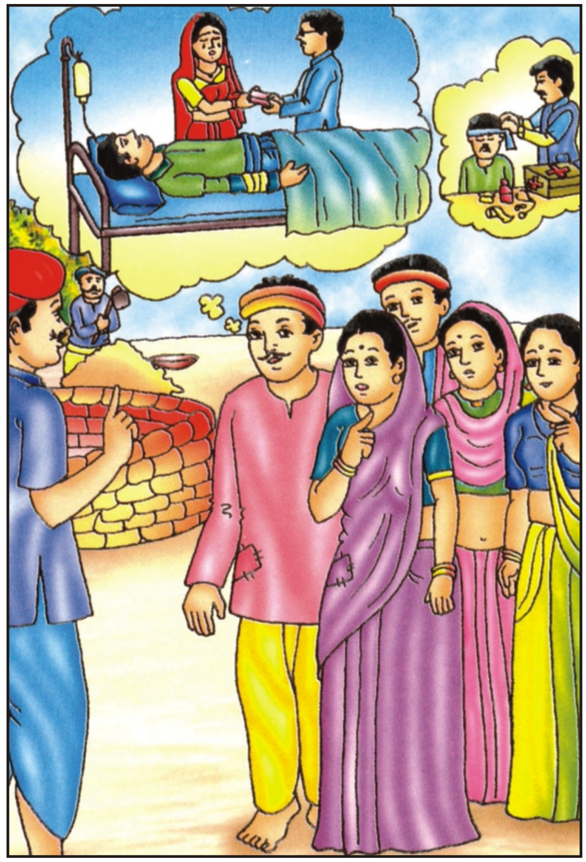

क्रियान्वयन में गड़बड़ी होने पर क्या करें?

- किसी भी व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत सीधे ब्लॉक स्तर पर 'कार्यक्रम अधिकारी' से की जा सकती है। अधिकारी को प्रत्येक शिकायत रजिस्टर में दर्ज कर विवादों को 7 दिन के भीतर निपटाना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर 1000/- रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

❑

जागरूकता संबंधी हमारे प्रकाशन

- सहोदरा
- प्राथमिक उपचार
- भूल
- सुरक्षित मातृत्व
- आहार और जीवन
- जब जागे तभी सबेरा
- विनोद की वापसी
- वाह उस्ताद जयराम
- पौष्टिक व्यंजन
- गुड़ाखू की कहानी
- दांव
- गोकरण का विवाह
- माँ की ममता
- सेहत का मूलमंत्र
- सफाई से सेहत
- बीमारियां क्यों ?
- शांति चली ससुराल
- हमारी दुनिया
- ग्रामीण पेयजल योजना
- स्वच्छ शौचालय
- स्वास्थ्य योजनाएँ
- सुरक्षित मातृत्व
- घरेलू उपचार
- बीमा योजनाएँ
- सूरज का कमाल
- कमजोरी का स्वयंवर
- कूड़े कचरे का निपटारा
- कूड़े कचरे से सोना
- प्रमुख बीमारियाँ
- पशुओं से होने वाली बीमारियाँ
- यातायात के नियम
- दिखावा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
- सूझबूझ
- रोजगार योजनाएँ
- सौ दिन सुनहरे
- रक्तदान महादान

प्रकाशक

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर, म.प्र.

महालक्ष्मीनगर, सेक्टर आर, इन्दौर- 452010 (म.प्र.)

फोन- 2551917, 2574104 फैक्स- 0731-2551573